झारखण्ड सरकार

कार्यालय

उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)

(जिला जनसम्पर्क शाखा)

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

Ref PR No.: 182519

राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव वासुकिनाथधाम 2018 तथा अन्य अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु माईक सिस्टम, स्टेज लाईट आदि विभिन्न कार्यों के लिए सूचना भवन, दुमका में दिनांक 16/07/2018 को अपराह्न 1 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को अलग–अलग लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय बिड देना होगा। जिन निविदादाताओं का तकनीकी बिड निविदा निष्पादन समिति (क्रय समिति) द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं के वित्तीय बिड विचारणीय होंगे। निविदा की शर्तें एवं तकनीकी/वित्तीय बिड का प्रारूप कार्यालय के सूचना पट्ट एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग झारखण्ड रांची के वेबसाईट **www.prdjharkhand.in** एवं **dumka.nic.in** पर उपलब्ध है। दिनांक 16/07/2018 के अपराह्न 4 बजे उपायुक्त दुमका की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक में खोली जायेगी। कार्य का विवरण तथा निविदा की शर्तों की सूचना सूचना भवन, दुमका के सूचना पट पर देखी जा सकती है।

राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव वासुकिनाथधाम 2017 तथा अन्य अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु माईक सिस्टम, स्टेज लाईट आदि विभिन्न कार्यों के लिए

निविदा की शर्तेः–

सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

1. आयकर रिटर्न – विगत वर्ष का आयकर रिटर्न की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
2. पैन कार्ड या टिन नं0 की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. कम से कम तीन वर्षों का माईक सिस्टम, स्टेज लाईट आदि विभिन्न कार्यों का कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था/फर्म को काली सूची में न डाले जाने का स्वघोषणा पत्र अनिवार्य है।
5. तकनीकी निविदा के साथ 20 हजार रु0 का बैंक ड्राफ्ट जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, दुमका के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
6. अस्वीकृत निविदादाता का जमा राशि निविदा के उपरांत या अगले कार्यदिवस को वापस कर दिया जाएगा। सफल निविदादाता के अग्रधन की राशि सुरक्षित जमा रख लिया जायेगा एवं अनुबंध समाप्ति उपरांत बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दिया जायेगा ।
7. कार्य विवरणी के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट दर देना होगा।
8. निविदादाता को सभी प्रकार के कर (सेल्सटैक्स, सेवाकर आदि), परिवहन, ढुलाई आदि को सम्मिलित करते हुए दर का उल्लेख करना है। यात्रा या परिवहन मजदूरी इत्यादि के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी। सामग्रियों की आपूर्ति आदेशित स्थल पर पहुँचाकर ससमय कार्य पूरा करना है। इसके लिए कोई अलग से राशि देय नहीं होगी।
9. यह दर मान्य/स्वीकृत होने पर अपरिवर्तनशील होगा। ससमय कार्य न होने अथवा गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पेनाल्टी, भुगतेय राशि में कटौती, काली सूची में डालना, भुगतान पूर्णतः रद्द करने का अधिकार जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को होगा। जिसकी स्वीकृति उपायुक्त/निदेशक/उप निदेशक से प्राप्त करनी होगी।
10. निर्धारित समय से पूर्व गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा।
11. माईक सिस्टम, स्टेज लाईट आदि विभिन्न कार्यों को पूरा करने के उपरांत देयक के साथ यह स्वघोषणा पत्र देना होगा कि कार्यादेश एवं निविदा में उल्लेखित गुणवत्ता के अनुरूप कार्य किया गया है। तदोपरांत सेल्सटैक्स, सेवाकर, आयकर आदि जो नियम सम्मत होगा की कटौती कर आवश्यक प्रमाण के साथ भुगतान किया जाएगा।
12. अनिवार्य एवं आवश्यक होने पर वासुकिनाथधाम एवं दुमका शहरी क्षेत्र तथा दुमका जिला में कहीं भी आदेश प्राप्त होने के उपरांत दिये गये समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण कर आदेशित स्थल पर आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।
13. क्रय समिति को निविदा की दर अधिक महसूस होने पर वार्ता कर दर प्राप्त करने का अधिकार क्रय समिति को होगा।
14. निविदादाता कार्य की उत्तम गुणवत्ता एवं ससमय कार्य सुनिश्चित करेंगे। ससमय कार्य निष्पादन एवं गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उनकी कार्यादेश रद्द कर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
15. जिला क्रय समिति के द्वारा स्वीकृत किया गया दर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर अगली निविदा या अगले आदेश तक मान्य होगी।
16. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
17. निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
18. यदि चयनित निविदा दाता निर्धारित तिथि तक कार्य सम्पन्न नहीं कर पाता है तो उसका कार्यादेश को रद्द कर अन्य निविदादाता को स्वीकृत दर पर कार्यादेश देने का अधिकार जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
19. जिला क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
20. मुहरबंद निविदा लिफाफा के उपर संबंधित विषय अंकित करना अनिवार्य है।

(मुकेश कुमार)
उपायुक्त, दुमका

प्रपत्र — 1

सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु माईक सिस्टम, स्टेज लाईट आदि का विवरण

किराये पर (दर मात्रानुसार)

माईक सिस्टम		ऑपरेटर के साथ			
		एक दिन का दर	तीन दिन का दर	एक सप्ताह का दर	एक माह का दर
1	ऑपरेटर सहित दो एम्पलीफायर (40/60/80/120/250/400/500 या उससे अधिक जो भी कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक हो अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक संख्या में हॉर्न एवं साउण्डबॉक्स स्टेबलाईजर/एक्वेलाईजर इको एवं फीडबैक साउन्ड स्पीकर के साथ एक एम्पलीफायर पर दो कोर्डलेस माईक्रोफोन/चार गुंजनेक माईक/चार स्टैण्ड माईक/ पेनड्राईव/सीडी/डीवीडी सुविधा से उपयुक्त/सामान्य मिक्सचर इत्यादि प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम दो एम्पलीफायर इस्तेमाल किये जायेंगे जिसमें कम से कम एक बैटरी से युक्त होगा।				
2	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु कम्पलीट ऑर्केस्ट्रा सिस्टम ऑपरेटर सहित आवश्यकतानुसार स्पीकर की संख्या जो आदेश दिया जाय। या कार्यक्रम के अनुरूप हो ऑपरेटर सहित दो एम्पलीफायर (40/60/80/120/250/400/500 या उससे अधिक जो भी कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक हो अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक संख्या में हॉर्न एवं साउण्डबॉक्स स्टेबलाईजर/एक्वेलाईजर इको एवं फीडबैक साउन्ड स्पीकर के साथ एक एम्पलीफायर पर दो कोर्डलेस माईक्रोफोन/चार गुंजनेक माईक/चार स्टैण्ड माईक/ पेनड्राईव/सीडी/डीवीडी सुविधा से उपयुक्त/सामान्य मिक्सचर इत्यादि प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम दो एम्पलीफायर इस्तेमाल किये जायेंगे जिसमें कम से कम एक बैटरी से युक्त होगा।				
3	स्टेज लाईट (रंगीन) फुल सेट डिजिटल कन्ट्रोल, डीपर लाईट, मैटल लाईट इत्यादि				

(मुकेश कुमार)
उपायुक्त, दुमका